न्यायाधीश एम.एम.एस. बेदी और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, के समक्ष।

सतविंदर सिंह चौधरी-अपीलकर्ता

बनाम

रितु जगलान- प्रतिवादी

2009 का एफएओ-एम नंबर **323**

अक्टूबर 03, 2018

हिन्दू विवाह अधिनियम, ***1955***—धारा ***13(1)(i.क)***—क्रूरता—लंबे समय तक पृथक्करण—प्रतिआरोप—अपीलकर्ता पति द्वारा लगाए गए आरोप पर्याप्त गंभीर नहीं—पत्नी से अनुचित अपेक्षाएं उसे पूरा न करने के कारण दुःख लाती हैं—वैवाहिक क्रूरता ऐसी होनी चाहिए कि पति-पत्नी में से किसी के लिए भी दूसरे के साथ रहना खतरनाक हो—अधिनियम तलाक का आधार बनाने के लिए "दोष सिद्धांत" पर आधारित है न कि "विच्छेद सिद्धांत" पर—पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध अपील क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग खारिज कर दी।

माना जाता है कि आरोप गंभीर नहीं हैं और उस समय मध्यस्थता द्वारा हल किए जा सकते थे, लेकिन अपीलकर्ता के परिवार द्वारा ऐसी किसी भी मध्यस्थता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से व्यक्त की गई अतिसंवेदनशीलता इस तथ्य का संकेत है कि भारत के पुरुष प्रधान समाज में कभी-कभी पत्नी से अनुचित अपेक्षाएं उसे पूरा न करने के कारण दुःख लाती हैं। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि वैवाहिक क्रूरता का गठन करने के लिए परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि पति या पत्नी के लिए दूसरे की संगति में रहना मुश्किल और खतरनाक हो।

(पैरा 12)

आगे कहा गया कि यदि यह माना जाता है कि पक्षकारों द्वारा लंबे समय तक अलगाव के कारण उनके लिए पुनर्मिलन संभव नहीं होगा, लेकिन वर्तमान मामले में तलाक की राहत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जा सकती है कि कानून ने अपने विवेक से हिंदू विवाह अधिनियम को "दोष सिद्धांत" पर तैयार किया है और तलाक के लिए आधार बनाने के लिए "ब्रेक डाउन थ्योरी" को स्वीकार नहीं किया गया है।

(पैरा 16)

कंवलजीत सिंह, सीनियर एडवोकेट, अभिनव अग्रवाल, एडवोकेट के साथ, अपीलकर्ता के लिए।

विकास सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

एम.एम.एस. बेदी, जे.

(1) यह पति द्वारा दिनांक 3.9.2009 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर की गई अपील है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए प्रतिवादी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपनी दलील में स्थापित मामला यह है कि पक्षों की शादी 29.3.2004 को करनाल में हुई थी। विवाह से कोई मुद्दा पैदा नहीं हुआ। अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह उच्च योग्य चिकित्सक है, जिसके पास एमडी की डिग्री है। यह दलील दी गई थी कि प्रतिवादी के पास एमसीए के साथ M.Sc (कंप्यूटर साइंस) की योग्यता भी थी। वह कुरुक्षेत्र में अंशकालिक व्याख्याता के रूप में काम कर रही थी और लेक्चररशिप के लिए नेट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। विवाह का प्रस्ताव नवम्बर, 2003 में शुरू किया गया था। अपीलकर्ता ने दलील दी कि वह एक उपयुक्त लड़की की तलाश में था और एक डॉक्टर होने के नाते उसकी मां को आकस्मिक

चोटों की देखभाल कर रहा था। अपीलकर्ता ने दलील दी है कि अपीलकर्ता के पिता ने अपीलकर्ता के बड़े भाई अर्थात् वर्ग नेता राजबीर सिंह चौधरी द्वारा की गई शादी की तर्ज पर बारात में केवल 5 व्यक्तियों को लेकर दहेज रहित विवाह की इच्छा जताई थी, लेकिन प्रतिवादी के पिता के कहने पर इस बहाने अपना आरक्षण दिखाते हुए कि शगुन को दोस्तों से वापस लेना था, रिश्तेदारों और बिरादरी को बारात लाने की जिद की गई। यह दलील दी गई है कि सगाई समारोह 25.3.2004 को आयोजित किया गया था। प्रतिवादी के पिता ने अपीलकर्ता और उसके पिता को उनके द्वारा लाए गए सैमसंग टीवी को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अपीलकर्ता को सोने की चेन, सोने का सिक्का आदि जैसी कुछ वस्तुएं दी गईं। 18.3.2004 को 100 व्यक्तियों वाली बारात रात 10:00 बजे करनाल में विवाह स्थल पर पहुंची, जब बारातियों के लिए पंडाल में मुश्किल से कुछ बचा था। फेरा समारोह प्रतिवादी के घर पर किया गया था और उक्त समारोह के बाद जब अपीलकर्ता अपने भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ प्रतिवादी के घर गया था, तो उसके पिता ने अपीलकर्ता के बड़े भाइयों को कठोर भाषा में कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और अपीलकर्ता वर्ग नेता राजबीर सिंह चौधरी के बड़े भाई, उसे कमरे से बाहर जाने की आवश्यकता से अपमानित किया गया था। अपीलकर्ता और प्रतिवादी नई मारुति एलएक्सआई कार में घर लौट आए थे, जिसे अपीलकर्ता और उसके पिता ने फरवरी, 2004 के महीने में अपने संसाधनों से खरीदा था। प्रतिवादी 29.3.2004 की सुबह अपीलकर्ता के घर आया था। बिदाई के समय, प्रतिवादी के पिता ने कन्यादान के रूप में 11000/- रुपये, शगुन के रूप में मुकलावा के रूप में 101/- रुपये और कुछ कपड़े दिए थे और शगुन के तौलिये में दहेज के लेखों की एक सूची डाली थी। सोने की अंगूठी, सोने की चेन, पंजेब और ईयर टॉप आदि जैसी कुछ वस्तुएं अपीलकर्ता के पिता की आपत्ति के बावजूद अपीलकर्ता के पिता द्वारा दी गई थीं कि कुछ भी आवश्यक नहीं था। यह दलील दी गई है कि उक्त अधिकांश अनुच्छेदों को अब 30.6.2004 को वापस ले लिया गया है। याचिका में क्रूरता को स्थापित करने के विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें एक विशाल निर्णय से बचने के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: -

(3) 2.4.2004 को, अपीलकर्ता की मां का एंजियोग्राफी परीक्षण हुआ था। प्रतिवादी ने यह कहते हुए अपनी सास की देखभाल करने से इनकार कर दिया कि वह नर्स नहीं है। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के प्रतिरोध के बावजूद निजी कार में मनाली में हनीमून के लिए जाने पर जोर दिया था कि वह ड्राइविंग में अच्छा नहीं था, लेकिन अपीलकर्ता के भाई, उसकी पत्नी और बच्चों को हनीमून के लिए जोड़े के साथ जाना पड़ा क्योंकि अपीलकर्ता का भाई पहाड़ियों में गाड़ी चलाना जानता है। प्रतिवादी का व्यवहार अनुचित था। मई 2004 में, प्रतिवादी अंबाला में एक दोस्त की शादी में भाग लेने के लिए अड़ा हुआ था और प्रतिवादी ने कार से जाने पर जोर दिया। उसने अपीलकर्ता को किसी से मिलवाया नहीं और उसने अपीलकर्ता से अच्छी तरह से बात नहीं की। एक फिल्म 'मैं हूं ना' के दौरे के उदाहरण को दलीलों में संदर्भित किया गया है जब प्रतिवादी ने अलग तरह से व्यवहार किया और अंतराल के दौरान कोल्ड ड्रिंक स्वीकार नहीं किया। प्रतिवादी को नेट परीक्षा में उपस्थित होना था जिसके लिए अपीलकर्ता द्वारा किताबें लाई गई थीं। प्रतिवादी ने परीक्षा की तैयारी की लेकिन प्रतिवादी के पिता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने प्रतिवादी को गहन अध्ययन करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन प्रतिवादी मूकदर्शक बना रहा, जबकि अपीलकर्ता का अपमान किया गया था। प्रतिवादी ने अप्रैल, 2004 में कुरुक्षेत्र में नेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गया। वह फिर से 20.6.2004 को नेट परीक्षा के लिए उपस्थित हुई और फिर 25.6.2004 को, वह फिर से एनडीआरआई, करनाल में कृषि नेट परीक्षा में उपस्थित हुई, जहां उसे एक कार में ले जाया गया लेकिन वह दोनों परीक्षाओं में असफल रही। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के लिए नाश्ता तैयार किया लेकिन प्रतिवादी के पिता ने अपीलकर्ता के पिता से स्पष्टीकरण मांगा कि प्रतिवादी को नाश्ता तैयार करने के लिए क्यों मजबूर किया गया। 8.5.2004 को, प्रतिवादी ने मेहमानों के लिए चाय तैयार करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि वह नौकरानी नहीं थी और अपीलकर्ता को प्रतिवादी के उदासीन और अशोभनीय रवैये के लिए अपने माता-पिता के सामने खेद की बात काटनी पड़ी। प्रतिवादी अपीलकर्ता को बताता था कि उसके ज्योतिषी ने उसके दो विवाहों की भविष्यवाणी की थी। उसने अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया। 28.6.2004 को, जब प्रतिवादी को अपीलकर्ता द्वारा उत्सव के लिए एक रेस्तरां में ले जाया गया, तो उसकी मां भी उनके साथ थी। प्रतिवादी के पिता ने आपत्ति जताई थी कि अपीलकर्ता की मां उनके साथ क्यों गई थी। 30.6.2004 को, प्रतिवादी अपने भाई प्रदीप के साथ अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए कुरुक्षेत्र गई थी और उसके बाद, वह रामधारी की उपस्थिति में अपने सास-ससुर को सूचित करने के बाद एक महीने की अवधि के लिए अपने माता-पिता के घर चली गई। अपीलकर्ता ने दलील दी है कि 31.7.2004 को, अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा उसके घर पर बुलाया गया था, जहां प्रतिवादी की मां ने उसे

1.8.2004 को वापस ले जाने के लिए कहा था। अपीलकर्ता प्रतिवादी के माता-पिता के घर गया था लेकिन प्रतिवादी ने अलग आवास के लिए एक शर्त रखी। जुलाई 2004 में, प्रतिवादी डीएवी कॉलेज, करनाल में अनुबंध के आधार पर व्याख्याता के रूप में शामिल हुआ, जिसके लिए उसके पिता ने रोजगार पाने में उसकी मदद की थी। अगस्त 2004 में, अपीलकर्ता अपने कॉलेज में प्रतिवादी से मिलने गई थी, लेकिन कॉलेज में उसका व्यवहार अशिष्ट था, जिसके लिए उसने अपमानित महसूस किया। सितंबर 2004 में, अपीलकर्ता एनडीआरआई, करनाल में प्रतिवादी से मिली, जहां प्रतिवादी ने बताया कि उसके पिता अपीलकर्ता को बुलाएंगे। प्रतिवादी के पिता के पूछने पर, अपीलकर्ता उसके घर गया था जहाँ उसके पिता ने अशिष्ट व्यवहार किया था और उसका अपमान किया था। तलाक के लिए याचिका में आगे यह दलील दी गई है कि 31.10.2004 को 'करवा चौथ' के अवसर पर, अपीलकर्ता को प्रतिवादी-पत्नी से एक एसएमएस संदेश मिला। अपीलकर्ता ने याचिका में आग्रह किया है कि 10.11.2004 को, पीजीआईएमएस रोहतक में उसका ऑपरेशन किया गया था और 9.11.2004 से 25.11.2004 तक छुट्टी पर रहा, जहां प्रतिवादी कभी नहीं गया और न ही उसने टेलीफोन पर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। 19.12.2004 को, अपीलकर्ता के घर पर एक पंचायत बुलाई गई थी जहाँ प्रतिवादी के पिता ने सभी आभूषणों की मांग की थी। दिनांक 23-2-2006 को प्रतिवादी के स्थान पर एक पंचायत बुलाई गई जिसमें प्रतिवादी के पिता ने भी अभद्र व्यवहार किया। दिनांक 24-2-2006 को पत्नी को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे अपने सभी आभूषण और दहेज संबंधी वस्तुएं एकत्र करने के लिए कहा गया था। नोटिस की एक प्रति एसपी करनाल के साथ-साथ एसएचओ, पुलिस स्टेशन, सिविल लाइंस, करनाल को भेजी गई है। पत्नी ने उक्त कानूनी नोटिस का जवाब भेजा है जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि वह वापस लौटेगी लेकिन अलग निवास के लिए जोर दिया। आगे यह दलील दी गई कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को 2 साल की अवधि के लिए छोड़ दिया था, जिससे वह परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री के हकदार हो गया था। यह आग्रह किया गया है कि 'एनिमस डिसरेंडी' रहा है और उपरोक्त दलीलों के आधार पर, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ विवाह को भंग करने की मांग की।

(4) प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्तियों को लेते हुए एक विस्तृत लिखित बयान दायर किया कि प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं था और अपीलकर्ता उससे छुटकारा पाना चाहता था और दूसरी शादी में दिलचस्पी रखता था। उसने प्रतिवादी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों विशेष रूप से उसके माता-पिता, भाई राजबीर और राजबीर की पत्नी सुमन का व्यवहार क्रूर था और वे प्रतिवादी को ताना मार रहे थे। यह दलील दी जाती है कि तलाक के आधार बनाने के लिए एक बहुत छोटी सी घटना को तथ्यों का रंग दिया गया है। शुरू से ही, अपीलकर्ता की इच्छा यह थी कि प्रतिवादी को एक सरकारी कॉलेज में व्याख्याता होना चाहिए और उसकी नियुक्ति को प्रतिवादी के पिता द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के माता-पिता ने प्रतिवादी को मानसिक दबाव में रखा था कि उसे नेट परीक्षा पास करनी चाहिए और पीएचडी भी उत्तीर्ण करनी चाहिए ताकि उसे जल्द से जल्द नियुक्त किया जा सके। अपीलकर्ता के माता-पिता प्रतिवादी के कमरे के बाहर बैठते थे, उसे बाहर से बंद रखते थे, उसे उसके अध्ययन के घंटों के बारे में दिन का पाठ्यक्रम देते थे। अपीलकर्ता और उसके माता-पिता द्वारा उस पर पीएचडी योग्यता प्राप्त करने या नेट परीक्षा पास करने के लिए दबाव डाला गया था। उसे यह समझाया गया था कि अगर वह नेट में फेल हो जाती है या अध्ययन के लिए समय नहीं देती है, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा या तलाक दे दिया जाएगा। तलाक के लिए याचिका में सभी आरोपों का खंडन किया गया था। जवाब में यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता को एक नर्स की जरूरत है, पत्नी की नहीं। जब भी वह अपने माता-पिता, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी, उसके ससुर ने उसे कभी भी इस बहाने से उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी कि उसकी सास की देखभाल कौन करेगा। प्रतिवादी रोजाना सास के घावों पर दवाइयां लगाता था। शादी पर 14 लाख रुपये खर्च किए गए। विवाह में दिए गए लेखों की सूची, रोका समारोह, सगाई समारोह के समय निवेदन किया गया था। यह दलील दी गई थी कि अपीलकर्ता को उस कार के लिए धन दिया गया था जिससे जेन कार उसके नाम पर खरीदी गई थी। यह दलील दी गई कि प्रतिवादी के पिता ने कभी भी अपनी बेटी के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया और हमेशा अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान किया। हालांकि, अपीलकर्ता के ससुराल वालों ने उसके रिश्तेदारों की उपस्थिति में इस आधार पर उसका अपमान किया कि पर्याप्त दहेज नहीं दिया गया था और न ही उसे रोजगार मिल रहा है। प्रतिवादी की सास 30.4.2006 को उसके साथ करनाल गई थी। इसके बाद, उसकी माँ उसे 'तीज़' त्योहार के कारण माता-पिता के घर ले गई । इस बात से इनकार किया गया कि क्या प्रतिवादी के पिता द्वारा कभी कोई शर्त लगाई गई थी। प्रतिवादी हमेशा अपीलकर्ता के साथ उसके वैवाहिक घर

में रहने के लिए तैयार और तैयार थी और उसके माता-पिता हमेशा वैवाहिक घर में उसके निपटान के लिए तैयार थे। प्रतिवादी को उसकी योग्यता के कारण डीएवी कॉलेज, करनाल में नौकरी मिल गई और उसके ससुर ने रोजगार पाने में कभी उसकी मदद नहीं की। जब अपीलकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो वह लगातार फोन कर रही थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे बार-बार कॉल न करने के लिए कहा था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा 19.12.2004 और 11.3.2006 को पंचायतों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन न तो अपीलकर्ता और न ही उसके पिता ने 11.3.2006 को पंचायत में भाग लिया। दरअसल, उक्त पंचायत में अपीलकर्ता का भाई राजबीर चौधरी मौजूद था। प्रतिवादी ने दावा किया कि उसने अपीलकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी क्योंकि वह हमेशा अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने के लिए तैयार और इच्छुक थी, जिसके लिए उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।

(5) याचिकाकर्ता ने तलाक के लिए याचिका में किए गए कथनों को दोहराते हुए एक विस्तृत प्रतिकृति दायर की।

(6) पक्षकारों के अनुरोध पर दिनांक 25-9-2004 को निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए -

1. क्या प्रतिवादी ने शादी के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है? विरोधी।

2. क्या प्रतिवादी ने याचिका दायर करने से पहले दो साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए 30.6.2004 से याचिकाकर्ता को लगातार छोड़ दिया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है? विरोधी।

3. क्या याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है? ओपीआर।

4. राहत।

(7) मुद्दा संख्या 1 और 2 अपीलकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष में फैसला किया गया था, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता ने विवाहित जीवन के सामान्य टूट-फूट को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हुए 42 पृष्ठों की लंबी याचिका दायर की है। छोटी-छोटी घटनाओं को अनुचित रूप से बढ़ाया गया है और अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया था और केवल तलाक के लिए आधार बनाने के प्रयास किए थे। उसने प्रतिवादी के साथ उचित तरीके से व्यवहार नहीं किया है, उसे यह दावा करने के लिए अपने स्वयं के गलत लाभ नहीं दिए जा सकते हैं कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। निचली अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की थी, जिससे यह साबित हो सके कि उसका उसके साथ संबंध तोड़ने या ससुराल को स्थायी रूप से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने ससुराल में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। साक्ष्य की सराहना करने पर, अपीलकर्ता की याचिका को दिनांक 3.9.2009 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री के तहत खारिज कर दिया गया था।

(8) श्री कंवलजीत सिंह, अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील - पति ने प्रस्तुत किया है कि एक भारतीय पत्नी के रूप में प्रतिवादी का आचरण निशान तक नहीं रहा है और एक लड़के के विवेकपूर्ण परिवार की अपेक्षा से परे है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान स्थापना से लेकर 'बारात' की अवधि से लेकर प्रतिवादी के वैवाहिक घर छोड़ने तक की विभिन्न परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया है, जो स्पष्ट रूप से उस मानसिक क्रूरता का संकेत हैं जो अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए उसके द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि शादी 28 मार्च 2004 को हुई थी। यह केवल तीन महीने तक चला जब प्रतिवादी ने ससुराल छोड़ दिया। सुलह के प्रयास अपीलकर्ता द्वारा 31 जुलाई, 2004 को उसे फोन करके और 1 अगस्त, 2004 को उसके घर जाकर किए गए थे, जैसा कि प्रतिवादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था। अपीलकर्ता ने अगस्त 2004 में उसके कॉलेज का दौरा किया था जैसा कि उसने दलील दी और साबित किया। अपीलकर्ता सितंबर 2004 में प्रतिवादी के घर भी गया था ताकि उसे वापस लाया जा सके जब उसका अपमान किया गया था। 19 दिसंबर, 2004 को, प्रतिवादी के पिता प्रतिवादी के सामान यानी उसकी किताबें, कपड़े आदि लेने के लिए अपीलकर्ता के घर इस बहाने आए थे कि उसे दिसंबर 2004 के अंतिम सप्ताह में नेट परीक्षा देनी थी लेकिन उसके पिता ने प्रतिवादी को ससुराल नहीं भेजा था। 30 जुलाई, 2009 को एक पंचायत बुलाने का प्रयास किया गया और प्रतिवादी और उसकी मां आरडब्ल्यू 3 के प्रवेश के अनुसार, वे पंचायत में शामिल नहीं हुए। अपीलकर्ता ने उक्त पंचायत में अपने ससुर को बताया था कि उसे 19.12.2004 से पहले पीएचसी, बामला से सीएचसी कौल, जिला कैथल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

23 फरवरी, 2006 को अपीलकर्ता के गांव की पंचायत उसे वापस लाने के लिए प्रतिवादी के घर गई थी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा 24 फरवरी, 2007 के कानूनी नोटिस Ex.P7 पर मुख्य जोर दिया गया है, जिसे अपीलकर्ता द्वारा पंचायतों के आयोजन और उसके द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए और प्रतिवादी से वापस आने का अनुरोध करते हुए भेजा गया था। उक्त नोटिस का उत्तर 3 मार्च, 2006 को Ex.P17 के तहत दिया गया था जिसमें प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ उसके वैवाहिक घर में रहने की अनिच्छा व्यक्त की थी। Ex.P17 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी ने जोर देकर कहा था कि अपीलकर्ता अपने माता-पिता से अलग रहने की स्थिति में वापस आ जाएगी। प्रतिवादी के आचरण से तंग आकर, अंततः अपीलकर्ता को 14 अगस्त, 2006 को तलाक की याचिका दायर करनी पड़ी, जब 2 साल तक किए गए प्रयासों के बावजूद प्रतिवादी ने वापस लौटने से इनकार कर दिया था। वकील ने रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि शादी की शुरुआत से अपीलकर्ता को लगातार अपमानित और अपमानित किया गया था। अपीलकर्ता की मां की 2 अप्रैल, 2004 को बत्रा अस्पताल, नई दिल्ली में एंजियोग्राफी कराने की घटना पर विद्वान वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया था, जब प्रतिवादी ने यह कहते हुए उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया कि वह नर्स नहीं थी और उसे परवाह नहीं थी कि अपीलकर्ता की मां जीवित है या मर जाती है। अप्रैल 2004 में, हनीमून पर प्रतिवादी का आचरण निर्दयी और कठोर था और 30 जून, 2004 को अपीलकर्ता द्वारा साबित किए गए साक्ष्य के अनुसार, जब अपीलकर्ता अपने कर्तव्य के लिए दूर था, प्रतिवादी ने उसकी सहमति के बिना अपने सामान के साथ अपने वैवाहिक घर को छोड़ दिया और पीडब्लू 7 की उपस्थिति में अपने भाई के साथ अपने माता-पिता के घर चली गई। प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। यह आग्रह किया गया था कि ससुराल से उसकी लगातार अनुपस्थिति परित्याग का स्पष्ट प्रमाण है। अपीलकर्ता का दावा है कि 21 जनवरी, 2005 को जब उसे अस्पताल में एक ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, तो प्रतिवादी उससे मिलने कभी नहीं आया, जिससे उसे मानसिक क्रूरता हुई। उन्होंने नोटिस Ex.P7 के उत्तर Ex.P-17 के साथ जोर दिया है जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के सहवास को फिर से शुरू नहीं करने के इरादे को दर्शाता है।

(9) श्री कंवलजीत सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी वर्तमान मामले में मानसिक क्रूरता का गठन करने वाले कारकों पर जोर दिया है और जोर देकर कहा है कि यह असुधार्य रूप से टूटी हुई शादी का मामला है क्योंकि पक्ष जून 2004 से अलग-अलग रह रहे हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि अनुलग्नक ए -1 के तहत, प्रतिवादी पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें रखरखाव और निवास की अंतरिम राहत को खारिज कर दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा 6 जुलाई, 2016 के अनुलग्नक ए -2 के तहत अपील खारिज कर दी गई थी, प्रतिवादी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन रद्द करने की रिपोर्ट में उसने विरोध याचिका प्रस्तुत की। अनुलग्नक ए -3 अपीलकर्ता के पिता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी है जिसमें प्रतिवादी को उसके भाई और मां के साथ धारा 323, 452, 506 आईपीसी के तहत अपराधों में बुलाया गया है। प्रतिवादी द्वारा दायर एक शिकायत पर अपीलकर्ता को 16 अगस्त, 2016 को अनुबंध ए -5 के तहत निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि निचली अदालत ने सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा और तलाक के लिए याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

(10) दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील, श्री विकास सिंह ने आग्रह किया है कि प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी का शुरू से ही एक साथ रहने का इरादा था, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा सहवास फिर से शुरू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। प्रतिवादी को दहेज की वस्तुएं दी गई थीं, जैसा कि अपीलकर्ता ने PW3 और उसके पिता को PW5 के रूप में पेश करते हुए स्वीकार किया था, लेकिन प्रतिवादी ने दहेज की वस्तुओं के दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया था, क्योंकि वह शादी को बचाना चाहती थी। प्रतिवादी के वकील द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि बारात के लिए अपर्याप्त भोजन के आरोप गलत हैं। आरडब्ल्यू 1 ने कहा है कि अपीलकर्ता के दोनों भाई शराब के नशे में नशे में थे जो सीडी एक्स.आर.1 से आर-3 में प्रदर्शित है। मनाली में हनीमून पर दुर्व्यवहार के बारे में आरोपों का यह तर्क देकर खंडन किया गया था कि अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसके भाई बच्चों और पत्नी के साथ कार में साथ थे जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि मनाली में दुर्व्यवहार के आरोप झूठे हैं। प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के छोटे-मोटे आरोप एक फिल्म के अंतराल के दौरान कोल्ड ड्रिंक स्वीकार नहीं करते हैं; अंबाला में दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए अडिग; उत्तरदाता नेट परीक्षा में असफल रहा है; उसने सास की देखभाल नहीं की; उसने अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया; मेहमानों को चाय देने से इनकार करने और 30 जून, 2006 को गलत तरीके से ससुराल छोड़ने के सभी आरोप अपीलकर्ता के मनमौजी रवैये पर आधारित थे, जबकि

इस तरह के आरोप न केवल झूठे हैं, बल्कि क्रूरता या परित्याग का कार्य नहीं है। यह आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी अभी भी अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने के लिए तैयार है लेकिन वह अडिग है। प्रतिवादी का कभी भी रेगिस्तान का इरादा नहीं रहा है, लेकिन यह अपीलकर्ता की गलती के कारण है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल नहीं हो सका।

(11) हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। दोनों पक्षों के वकीलों की सहायता से विशाल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है। अपीलकर्ता ने क्रूरता और दुर्व्यवहार के साथ-साथ परित्याग के आरोपों को साबित करने की पूरी कोशिश की है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जबकि प्रतिवादी पत्नी ने यह स्थापित करने की कोशिश की है कि आरोप प्रतिवादी के व्यवहार के छोटे उदाहरण हैं जो किसी भी तरह से क्रूरता का गठन नहीं करेंगे इस हद तक कि यह तलाक का वारंट होगा। प्रतिवादी ने 3 जून, 2004 के बाद माता-पिता के घर में अपनी उपस्थिति को समझाने की कोशिश की है और दावा किया है कि वह 'तीज' त्योहार के लिए अपने घर गई थी।

(12) हमने क्रूरता के सभी आरोपों से गुज़रा है, जिसमें 'बारात' का आरोप शामिल है कि शादी की तारीख पर जानबूझकर अपमान किया गया था क्योंकि बारात के लिए कोई भोजन नहीं बचा था; प्रतिवादी ने 2 अप्रैल, 2004 को अपीलकर्ता की मां में भाग नहीं लिया; हनीमून पर उसका दुर्व्यवहार, मई 2004 में अपीलकर्ता के दोस्त की शादी में शामिल होने से उसका इनकार; एक फिल्म में अंतराल के दौरान कोल्ड ड्रिंक स्वीकार नहीं करना; वह 20 जून, 2004 को नेट परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि पति ने उसके लिए किताबें खरीदीं; प्रतिवादी ने 8 मई, 2004 को चाय नहीं बनाई थी; प्रतिवादी के पिता की आपत्ति 28 जून, 2004 को उठाई गई थी जब अपीलकर्ता अपनी मां को प्रतिवादी का जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्तरां में ले गया था; माता-पिता से अलग आवास के लिए प्रतिवादी के पिता द्वारा लगाई गई शर्त; प्रतिवादी अगस्त 2004 में असभ्य था जब अपीलकर्ता उससे मिलने उसके कॉलेज गया था; अपीलकर्ता को सितंबर 2004 में एनडीआरआई, करनाल में उसकी पत्नी द्वारा डांटा गया था और प्रतिवादी के पिता ने अपीलकर्ता को फोन किया था जहां उसने अपीलकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया था, अपीलकर्ता स्वयं 10 नवंबर, 2004 को पीजीआई, रोहतक में तीव्र नाक के जंतु के साथ तीव्र मैक्सिलरी साइनसिसिस के लिए संचालित किया जा रहा था, लेकिन प्रतिवादी ने कभी भी उससे मुलाकात नहीं की या टेलीफोन पर उसके बारे में पूछताछ नहीं की और कानूनी नोटिस अनुलग्नक पी -7 भेजे जाने के बावजूद, प्रतिवादी ने शामिल होने से इनकार कर दिया।

(13) हमने प्रत्येक आरोप पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया है और इस तरह के आरोप का संचयी प्रभाव देखा है और हमारी राय है कि सभी आरोप शादी के बाद कुछ महीनों की छोटी अवधि से लेकर 30 जून, 2004 के बाद की अवधि तक के हैं, जब से प्रतिवादी कथित रूप से बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने माता-पिता के साथ रह रही है। आरोप गंभीर नहीं हैं और उस समय मध्यस्थता द्वारा हल किए जा सकते थे, लेकिन अपीलकर्ता के परिवार द्वारा ऐसी किसी भी मध्यस्थता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से व्यक्त की गई अतिसंवेदनशीलता इस तथ्य का संकेत है कि भारत के पुरुष प्रधान समाज में कभी-कभी पत्नी से अनुचित अपेक्षाएं उसे पूरा न करने के कारण दुःख लाती हैं। वर्तमान मामला ऐसी स्थितियों के उदाहरणों में से एक प्रतीत होता है। दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोप छोटे-मोटे हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी हस्तक्षेपकर्ता द्वारा प्रारंभिक चरण में संभाला नहीं गया है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि वैवाहिक क्रूरता का गठन करने के लिए परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि पति या पत्नी के लिए दूसरे की संगति में रहना मुश्किल और खतरनाक हो। यह विश्वनाथ सीताराम अग्रवाल बनाम सौ में निर्धारित कानून का स्थापित सिद्धांत है। सरला विश्वनाथ अग्रवाल[1] ने कहा कि 'क्रूरता' अभिव्यक्ति का मानवीय आचरण या मानवीय व्यवहार के साथ अविभाज्य संबंध है। यह हमेशा उस सामाजिक स्तर या परिवेश पर निर्भर करता है जिससे पार्टियां संबंधित हैं, उनके जीवन के तरीके, रिश्ते, स्वभाव और भावनाएं जो उनकी सामाजिक स्थिति से वातानुकूलित हैं। चूंकि वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता का निर्धारण करने के लिए कोई सीधा जैकेट फॉर्मूला या निश्चित पैरामीटर नहीं है, इसलिए प्रत्येक मामले को रिकॉर्ड पर पेश किए गए साक्ष्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

(14) पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद जिसमें PW1 चंदर भान गोयल, कैशियर करनाल मोटर्स, PW2 अमित, एजेंसी मैनेजर, ICICI बैंक, PW3 अपीलकर्ता, PW4 पाला राम तंवर, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, PGIMS

---

[1] एआईआर 2012 एससी 2586

रोहतक, PW5 Er बीचा राम चौधरी, PW6 विंग कमांडर राजबीर सिंह चौधरी, PW7 राम धारी, PW8 धर्म पाल, RW1 गोपाल शर्मा, फोटोग्राफर, RW2 प्रतिवादी, आरडब्ल्यू 3 ईश्वर सिंह, आरडब्ल्यू 4 कमला जगलान और आरडब्ल्यू 5 ओम प्रकाश, हमारी राय है कि अपीलकर्ता/पति यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों का आचरण तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए क्रूर था।

(15) श्री कंवलजीत सिंह ने राकेश कुमार बनाम मोनिका नवीन कोहली बनाम [2]नीलू कोहली और कलापतापु लक्ष्म भारती [3] बनाम कलापतापु साई कुमार के फैसलों पर भरोसा करके तलाक की डिक्री पारित करने के लिए इस न्यायालय को समझाने का एक और प्रयास किया [4] है यह तर्क देते हुए कि यह लंबे अलगाव और टूटी हुई शादी का मामला है और इसे जीवित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और तलाक की डिक्री प्रदान करना न्याय के हित में समीचीन होगा जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा जो इस स्तर पर युवा हैं और फिर से जीवन में फिर से बस सकते हैं।

(16) दूसरी ओर, श्री विकास सिंह ने श्याम सुंदर कोहली बनाम सुषमा कोहली @ सत्या देवी, सुरजीत सिंह बनाम सुरिंदर कौर[5] और संगीता रानी [6] बनाम संजीव कुमार के फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा है कि एक टूटी हुई शादी तलाक की डिक्री द्वारा भंग करने के लायक नहीं है क्योंकि यह विधायिका द्वारा प्रदान किया गया आधार नहीं है।[7]

(17) हमने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि पक्षकारों द्वारा लंबे समय तक अलग रहने के कारण उनके लिए पुनर्मिलन संभव नहीं होगा लेकिन वर्तमान मामले में तलाक की राहत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जा सकती है कि कानून ने अपने विवेक से हिंदू विवाह अधिनियम को "दोष सिद्धांत" और "ब्रेक डाउन थ्योरी" पर तैयार किया है, तलाक के लिए आधार बनाने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। हम वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कंवलजीत सिंह के तर्क को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि वर्तमान मामले में टूट गई शादी को भंग कर दिया जाना चाहिए।

(18) यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं है कि हमने पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए हैं। अपीलकर्ता को सहवास फिर से शुरू करने या पुनर्मिलन के लिए प्रयास करने के लिए अडिग पाते हुए, हमने प्रतिवादी को उचित स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान का भी प्रस्ताव दिया था। अपीलकर्ता न केवल कोई उचित प्रस्ताव देने में विफल रहा, बल्कि साथ ही प्रतिवादी ने किसी भी राशि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उक्त प्रयास हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 23 (2) की भावना को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(19) हमने अपीलकर्ता द्वारा दलील और साबित करने की मांग के अनुसार परित्याग के आधार पर भी विचार किया है। ऊपर वर्णित घटनाओं का अनुक्रम इंगित करता है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाए। अपीलकर्ता ने रिकॉर्ड पर यह स्थापित करने की कोशिश की है कि प्रतिवादी कानूनी नोटिस Ex.P-7 भेजे जाने के बावजूद अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने में विफल रहा था, जबकि प्रतिवादी ने यह आरोप लगाते हुए कि अपीलकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कभी कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया था, उसे सही ठहराने की कोशिश की है। यहां तक कि Ex.P-17, प्रतिवादी द्वारा दायर उत्तर से यह संकेत नहीं मिलता है कि उसका अपीलकर्ता को छोड़ने का कोई इरादा था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि तलाक की याचिका दायर करने की तारीख तक प्रतिवादी ने घरेलू हिंसा के अपने कृत्यों के लिए अभियोजन के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, इस उम्मीद के साथ कि अपीलकर्ता के साथ बेहतर समझ प्रबल होगी और वे फिर से एकजुट होंगे। दुश्मनी इच्छा का महत्वपूर्ण घटक यानी प्रतिवादी की ओर से छोड़ने का इरादा स्थापित नहीं होता है, हालांकि पार्टियां पिछले कई वर्षों से अलग-अलग रह रही हैं।

---

[2] 2017 (1) आरसीआर (सिविल) 378
[3] 2006(2) आरसीआर (सिविल) 290
[4] 2016 एआईआर (हैदराबाद) 218
[5] 2005 (1) आरसीआर (सिविल) 16
[6] 2010 (16) आरसीआर (सीआरएल) 881
[7] 2017 (1) एचएलआर 500

(20) उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, हमें इस अपील को खारिज करने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं मिलता है। पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करना होगा।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा